किस्म मुकदमाः– :– धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 GCMS-2024/95

नम्बरः– 32.../2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज पुनाराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी फलौदी)	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/10/24	अपीलार्थी पुनाराम पुत्र जसुराम प्रजापत निवासी श्रीकृष्ण नगर, पंचायत समिति आऊ, तहसील आऊ जिला फलौदी ने सूचना का अधिकार के तहत दिनांक 20.08.2024 में उसके द्वारा अपील में उल्लेखित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी फलौदी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा मांगी गई बिन्दुवार सूचनाऐं पंचायत समिति आऊ से संबधित है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा पृथक से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पृथक से प्रथम अपील अधिकारी नियुक्त है। जिला कलक्टर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद का प्रथम अपील अधिकारी नहीं है। अतः प्रकरण में अपीलांट को विभाग द्वारा नियुक्त अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। न्यायालय को उक्त अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः अपील फैसल होकर नंबर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति संबधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	जिला कलक्टर फलौदी